

7

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़
प्रार्थना पत्र / 7/2018

रामदयाल आ० प्रताप जाति चमार निवासी पीपलखेड़ी तहसील छीपाबड़ोद जिला बारां
बनाम

मांगीलाल आ० कजोड़ जाति चमार (फोट) के वारिसान :-

1. मोहनलाल, नन्दकिशोर, मुकेश पिसरान मांगीलाल चमार निवासी पीपलखेड़ी तहसील छीपाबड़ोद जिला बारां वगैरह (1 लगायत 7)

<p>208/18</p> <p>20</p>	<p>प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश जर्जे वकील प्रार्थी पेश हुआ, निषेधाज्ञा जारी करने के संबंध में प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर गोर एवं मनन करने के पश्चात हमारी राय में प्रकरण में स्थगन दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है । प्रा०पत्र बाद तामील तकमील संलग्न मूल अपील हो निर्णय आज खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया ।</p> <p>कति० कलक्टर एवं कति० जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ (राब०)</p>
-------------------------	--

